(ख) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे स्वैच्छिक सेवा निवृति के लिए अपने प्रार्थना पत्रों को श्रमिक संघों के माध्यम से भेजें ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार को श्रमिक संघों द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृति मांगने वाले कर्मचारियों से धनराशि वसूल करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1994–95 में एन टी सी के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृति के लिए 20 करोड़ रु० की धनराशि रिलीज की गई थी । 1995–96 के लिए धनराशि अभी उदिद्ष्ट की जानी है ।

(ख) और (ग) एन टी सी की स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के अनुसार एन टी सी के कामगारों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों के माध्यम से भेजना अनिवार्य नहीं है । तथापि जहां कहीं भी राज्यों में संबंधित औद्योगिक संबंध अधिनियम के अनुसार यह बाध्यकर होता है । विधिक सहायक निगमों के प्रबंधन श्रमिक संघों के साथ करार करते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात जिनमें यह प्रावधान है कि पदों को बढ़ाने के मामले में प्रबंधन के लिए यह बाध्य-कर है कि वह संबंधित संघों के साथ करार करें तथा कामगारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे ऐसे आवेदन ऐसे संघों के माध्यम से भजें ।

(घ) और (ङ) ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना का लाभ उठान वाले कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाल अनुग्रह राशि के एक भाग का भुगतान बंबई में एन टी सी की मिलों के प्रतिनिधि श्रमिक संघ को किया गया था । इस धनराशि को संबंधित कामगार द्वारा एक औपचारिक प्राधिकरण पत्र के आधार पर ही काटा जा रहा है । तत्वत: यह प्रतिनिधि श्रमिक संघ तथा संबंधित कामगार के बीच का मामला है ।

Silk weavers of Dharmavaram in Andhra Pradesh

6129. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the pitiable condition of the silk weavers of Dharmavaram in Andhra Pradesh due to various factors;

(b) if so, whether steps have been taken by Government to alleviate the situation; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) No, Sir. The State Government of Andhra Pradesh has sent no such report about distressed condition of silk weavers of Dharmavaram.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

Cotton yarn for powerloom and Handloom Sector

6130. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether steps are being taken by Government to make available cotton yarn for powerloom and handloom sectors in adequate quantity in the country; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Yes, Sir.

(b) During 1994-95, 1580 million kg. of cotton yarn is estimated to be produced. Estimated deliveries of obligatory varities of yarn were 1060 million kg. against which during April—December, 1994 a total quantity of 678.38 million kg. (provisional) of obligatory yarn was packed for Powerloom, Handloom etc. sectors. Out of it Hank Yarn Packing for Handloom Sector was 375 million kg. (provisional).

The following special measures were taken to make available Hank yarn in adequate quantity to Handloom Sector:—

(i) Rigorous enforcement of Hank yarn Obligation by the Office of the Textile Commissioner to make available requisite quantity of hank yarn to the handloom sector. Besides, as per the orders issued by the Directorate General of Foreign Trade, exporters of yarn are now required to fulfil the Hank Yarn Obligation before undertaking the exports of yarn;

(ii) Extension of loan assistance to National Cooperative Development Corporation (NCDC) for setting up of new mills, expansion/modernisation of existing mills and also towards margin money to make available yarn to the handloom sector;

(iii) Continuation of Hank Yarn Price Subsidy Scheme during the year 1995-96 with an enhanced subsidy of Rs. 20/- per kg. with a delivery target of 20.00 million kg.;

(iv) Continuation of Mill-gate Price Scheme for supply of bank yarn through the National Handloom Development Corporation (NHDC) at the mill-gate price to various State Governments/Agencies with an enhanced target of 20.00 million kgs.; and

(v) Opening up of 100 Yarn Depots and running of 20 Mobile Vans through State Handloom Development Corporations and State Apen Handloom Federations in the handloom weavers' concentration areas throughout the country is being taken up.

सूती धागे का निर्यात

6131. **श्री ग्रास मोहम्मद** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सूती धागे का निर्यात कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में सूती धाग का निर्यात किया गया ; और किस दर पर निर्यात किया गया ; और

(ग) क्या सूती धागे का निर्यात करने से पूर्व सरकार द्वारा भारतीय बुनकरों के लिए सूती धागे की उपलब्धता संबंधी स्थिति पर विचार किया जाता है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) सरकार सूती यार्न का निर्यात नही कर रही है । सरकार वर्षानुवर्ष आधार पर सूती यार्न के निर्यात के लिए केवल मात्रा संबंधी उच्चतम सीमा निर्धारित करती है ।

(ख) पिछले तीन केलेण्डर वर्षो के दौरान सूती यार्न के निर्यात की मात्रा और मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा (मिलियन किग्रा० में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1992	122.08	1104.38
1993	165.94	1461.23
1994	215.97	2285.14